न्यायालयः रेवेन्यु बोर्ड मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प, उज्जैन
प्रकरण क्रमांक /2011–12, रिविजन – 1679-PBR/12

(51)

अब्दुल गय्युर पिता श्री चांद खॉ दत्तक पुत्र बाबु खॉ आयु 42 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी गुदरी बाजार, उज्जैन

.... आवेदक

विरूद्ध

1) मोहम्मद जाकिर पिता **मोहम्मद** खॉ, जाति मुसलमान, आयु 31 वर्ष, धंधा खेती एवं व्यापार, निवासी गुदरी चौराहा, पानी की टंकी **उज्जैन**

2) मोहम्मद शाकिर पिता **मोहम्मद** खॉ, जाति मुसलमान, आयु 30 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी गुदरी चौराहा पानी की टंकी, उज्जैन

3) मोहम्मद शफी पिता **मोहम्मद** खॉ जाति मुसलमान, आयु 33 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी गुदरी चौराहा पानी की टंकी के पास, उज्जैन

.... अनावेदकगण

विषय :– न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/11 मोहम्मद जाकिर विरूद्ध अब्दुल गय्युर में पारित अंतरिम आदेश तारीखी 12/04/2012 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व सहिंता की धारा 50 के आधिन निगरानी का स्मरण लेख।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है :–

01. यह कि नायब तेहसीलदार महोदय तेहसील उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 31/10/2007 ई. से असंतुष्ट होकर अनावेदकगण ने एक अपील आवेदक के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी

(3)

7/2/12

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

51

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1679-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एल. दुग्गड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	